न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
85 / 2023	दावा 53, 88 RTA	10.04.2023	14.03.2023

1. रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती निवासी पुराना वार्ड नं. 38 चूरू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. हुणताराम पुत्र नथुराम जाति मेघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. इन्द्रचन्द पुत्र नथुराम जाति मेघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. ग्यारसीदेवी पुत्र नथुराम जाति मेघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ वादी
2. अधिवकता श्री दीपककुमार स्वामी प्रतिवादीगण

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण हुणताराम, इन्द्रचन्द, ग्यारसीदवी पुत्र पुत्री स्व. नथूराम के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम गाजसर तहसील चूरू में खसरा नम्बर 461 तादादी 14 बीघा 05 बिश्वा 413 तादादी 4 बीघा बारानी सन् 2012 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसमें से खसरा नम्बर 413 में से 4 बीघा भूमि जरिये बैनामा दिनांक 01.03.2012 को प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 द्वारा वादी रामचन्द्र को विक्रय कर दी । इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के दिनांक 01.03.2012 के बाद शेष खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 461 तादादी 14 बीघा 05 बिश्वा शेष रही थी, जिसमें से 6 बीघा भूमि राजबाला पत्नी मुखाराम जाति मेंघवाल जरिये बैनामा दिनांक 30.12.2015, 08 बीघा भूमि सुशीला पत्नी बजरंगलाल जाति मेघवाल जरिये बैनामा 04.02.2016 से विक्रय कर दी गयी । इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के खसरा नम्बर 461 में मात्र 05 बिश्वा भूमि शेष रही। खसरा नम्बर 413 की 4 बीघा (1.0117 हैक्टेयर) भूमि जो वादी के द्वारा कय कि गई थी का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने से वादी राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज नहीं हो पाया जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसके प्रतिवादीगण कानूनन खातेदार नहीं हैं । वादी को ज[illegible]सी बनाने की जरूरत पड़ी तब यह पता लगा की इस भूमि का नामान्त[illegible] है जबकि वादी जरिये बैनामा दिनांक 01.03.2012 के आधार पर खातेदार [illegible] चला आ रहा है। वादी वादगत भूमि को जरिये बैनामा राजस्व अभिलेख में खातेदार घोषित करवाने का अधिक[illegible] तथा वादगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से करवाकर खाता विभाजन करवाने [illegible]नूनन अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

खसरा नम्बर 413 तादादी 4 बीघा (1.0117 हैक्टेयर) वादी के ही कब्जा काश्त में बैनामा के दिन से ही चली आ रही है।

यह कि वादी ने अपनी कृषि भूमि जो उसके कब्जे व काश्त में दिनांक 01.03.2012 से निर्बाध रूप से चली आ रही है, को पृथक करवाये जाने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 को कहा व कहलवाया गया कि वे साथ चलकर वादगत कृषि भूमि का बंटवारा करवा लेवे इस पर प्रतिवादीगण पहले तो आज कल आजकल में करवायेंगें करते रहे आखिरकार दिनांक 27.03.2023 को विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये, अतः इसी इन्कारी की तारीख से वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण व वाद हैतुक उत्पन्न हो गया । यह कि प्रतिवादी संख्या 17 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू से किसी भी प्रकार का अनुतोष अपने वाद के माध्यम से नही चाहा है इसलिये राज्य सरकार को बिना 80 सीपीसी के नोटिस दिये दावा दायर किया जा रहा है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 3 के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे:–

(क) घोषित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि ग्रम गाजसर की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 413 तादादी 4 बीघा (1.0117 हैक्टेयर) कृषि भूमि का वादी जरिये बैनामा दिनांक 01.03.2012 से काश्तकार होने से खातेदार घोषित किया जावे।

(ख) जरिये विभाजन डिकी वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 413 तादादी 4 बीघा (1.0117 हैक्टेयर) को पृथक कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे एवं खसरा नम्बर 1172/461 तादादी 05 बिश्वा (0.0632 हैक्टेयर) प्रतिवाादीगण संख्या 1 से 3 के नाम से अलग विभाजन कर अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 3 से दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष हितकर वादी हो वा दौराने दावा हो जावे, वह भी वादी को प्रदान किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अधिवक्ता श्री दीपककुमार स्वामी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की ओर से इकबालदावा पेश किया गया। इकबालदावा में प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर विशेष कथन किया है कि खसरा नम्बर 413 तादादी 1.0117 हैक्टेयर वाके रोही गाजसर की खातेदारी बैनामा दिनांक 01.03.2012 के आधार पर वादी रामचन्द्र के नाम से खातेदारी घोषित करने व राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करने बाबत एवं खसरा नम्बर 413 तादादी 1.0117 हैक्टेयर का खाता अलग वादी के नाम से किये जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति व एतराज नही है तथा ना ही भविष्य में करेंगें। हम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के खसरा नम्बर [illegible] तादादी 05 बिश्वा (0.0632 हैक्टेयर) वाके रोही गाजसर की कृषि भूमि अलग विभाजित कर अलग लगान कायम किया जावे। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा वादी के वाद [illegible] कोई आपत्ति नहीं करने एवं सहमति दिये जाने पर पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गयी। वादी ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

किया और अपने बयान दिये। गवाह के बयान लेख बद्ध किये गये। वादी अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता है इसलिए साक्ष्य वादी बन्द कर पत्रावली प्रतिवादी के साक्ष्य में रखी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वादी के 4 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं वादी का खाता अलग कायम किया जावे तथा शेष 5 बिश्वा भूमि का अलग खाता कायम किया जाता है तो इसमें उभय पक्ष सहमत है। वादी एवं प्रतिवादीगण में सहमति होने से जिरह शून्य रही। उभय पक्ष बहस नहीं कर वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री करने का निवेदन किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादगत कृषि भूमि प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 413 तादादी 1.0117 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1172/461 तादादी 05 बिश्वा (0.0632 हैक्टेयर) की रोही ग्राम गाजसर में स्थित है जिसमें से खसरा नम्बर 413 की 1.0117 हैक्टेयर कृषि भूमि जरिये बैनामा दिनांक 01.03.2012 के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने वादी को विक्रय कर दी थी परन्तु नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने से राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज रही है। शेष खसरा नम्बर 1172/461 तादादी 0.0632 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि है। इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादीगण की चली आ रही है। इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि रोही गाजसर के खसरा नं. 413 तादादी 1.0117 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 413 तादादी 1.0117 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1172/461 तादादी 0.0632 हैक्टेयर का खाता विभाजन कर खसरा नम्बर 413 तादादी 1.0117 हैक्टेयर वादी के नाम से एवं खसरा नम्बर 1172/461 तादादी 0.0632 हैक्टेयर प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में खाता अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में खाता व लगान पृथक –2 दर्ज करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सक्षम गोयल)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:38:28 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत सहायक कलक्टर, चूरू

इजलास : श्री सक्षम गोयल आई0ए0एस0

1. रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती निवासी पुराना वार्ड नं. 38 चूरू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. हुणताराम पुत्र नथुराम जाति मेघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. इन्द्रचन्द पुत्र नथुराम जाति मेघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. ग्यारसीदेवी पुत्र नथुराम जाति मेघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 85 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट मिनजानिब मुदईब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि रोही गाजसर के खसरा नं. 413 तादादी 1.0117 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 413 तादादी 1.0117 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1172/461 तादादी 0.0632 हैक्टेयर का खाता विभाजन कर खसरा नम्बर 413 तादादी 1.0117 हैक्टेयर वादी के नाम से एवं खसरा नम्बर 1172/461 तादादी 0.0632 हैक्टेयर प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में खाता अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में खाता व लगान पृथक –2 दर्ज करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14.03.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:58:28 IST
Reason: SelfAttested

(सक्षम गोयल)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
चूरू

खण्ड अधिकारी
चूरू